

फर्द अहकाम

अजुनलाल बनाम बाबूलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्ती

राजस्य चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 66/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/4/21	पत्रावली पेश की। वकूलाय द्वारा यन्त्रोलेन, कार्य के कारण कार्यवाही नहीं की जायेगी। पत्रावली दिनांक... 29-4-21 को पेश हो।
	29/4/21	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की मा-फ्त अस्थायी निषेधाज्ञा पर पूर्व में बहस लुनी जा चुकी थी। पत्रावली पर उपलब्ध रिफार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस जाइए तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उभयपक्षों के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नं. 228 रकबा 0.7840 हेक्टर स्थित ग्राम खोरी प-ड. झर तह. बस्ती जि. जयपुर पर उभयपक्ष मौके की यथास्थिति तापेसला बाढ़ के बताये रखे लें कारण के अतिरिक्त अन्य कार्य ना करें।</p> <p>पत्रावली फेल लुनाल दोनल नम्बर से कम हो।</p> <p><u>ant</u></p>